न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर

प्रार्थीया	अप्रार्थीगण
राजेन्द्रसिंह पुत्र बहादुरसिंह राजपूत निवासी सुरतपुरा हाल कुचामन	लालाराम पुत्र बालुराम कुमावत वगैरह कुचामनसिटी

राजस्व प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अ.धा.212 आर.टी.एक्ट

राजस्व प्रार्थना–पत्र मु.नं. 11 / 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख मे जारी हुए
16.02.17	प्रार्थी द्वारा प्रार्थना –पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा 212 R. T. Act के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया। प्रार्थना– पत्र दर्ज रजिस्टर हो । प्रार्थीगण वकील के निवेदन पर एक पक्षीय बहस सुनी गई । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है । अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी दिनॉक 28.02.17 तक इस आशय की जारी की जाती है कि कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1311, 1312, 1313, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321में अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 का बेचान हस्तानान्तरण इत्यादि नही करे, तथा अप्रार्थी 9 (अप्रार्थी सख्या 1 व 2) द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार के दस्तावेज का पंजियन स्वीकार नही करे तथा अप्रार्थी संख्या 10 राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनॉक 28.02.2017 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कुचामन सिटी (नागौर)	
28/2/17	पत्रावली पेश हुइ आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य अवकाश से बाहर पधारे हैं। अत: पत्रावली दिनांक 02/3/17 को पेश हो	
02/3/17	वकील प्रार्थी उपस्थित प्रार्थी उपस्थित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ज्ञापन किया है कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है। इसलिये प्रा. पत्र आगे नही चलाना चाहते। प्रार्थना पत्र जरिये विड्रोल खारिज।	राजेन्द्र [illegible] Adv

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)